श्री सुजीत कुमार (आई0ए0एस0), मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 08–01–2015 को ग्राम नगला हरिशचन्द में चौपाल आयोजन एवं निरीक्षित किये गये विकास कार्यो की निरीक्षण टिप्पणीः

आज दिनांक 08.01.2015 को वि0ख0 फिरोजाबाद के ग्राम न0 हरीशचन्द्र में चौपाल आयोजित कर विकास कार्यो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री आर0के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उप–निदेशक मण्डी परिषद् (निर्माण) फिरोजाबाद, सहायक विकास अधिकारी, आई0एस0बी0, विकास खण्ड फिरोजावाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें। यह ग्राम वर्ष 2013–14 में जनेश्वर मिश्र योजनार्न्तगत चयनित ग्राम हैं। विद्यालय में चौपाल आयोजित कर विकास कार्यो का निरीक्षण किया गया।

1–प्राथमिक विद्यालय नगला हरिशचन्द्रः

विद्यालय की वाउण्ड्री नही बनी थी। जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पाया गया कि धनराशि प्राप्त हो गयी है परन्तु जमीनी विवाद होने के कारण वाउण्ड्री नही करायी गयी है। इस सम्बन्ध में मौके पर उप–जिलाधिकारी टूण्डला को निर्देशित किया गया कि तहसीलदार को भेज कर जमीन की नाप करायें। साथ ही सहायक विकास अधिकारी आई0एस0बी0 विकास खण्ड फिरोजावाद को भी निर्देशित किया गया कि एक फिट जमीन छोड कर विद्यालय की वाउण्ड्री कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–उप–जिलाधिकारी टूण्डला एवं स0वि0अधि0 आई0एस0बी0)

2–पेयजल व्यवस्थाः

जल निगम विभाग के कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी चौपाल पर उपस्थिति नही हुआ। अधिशासी अभियन्ता इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। बताया गया कि ग्राम की टी0टी0एस0पी0 बन्द पडी है तथा ग्राम सभा को हैण्ड ओवर भी नही हुई है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि टी0टी0एस0पी0 का मोटर खराव हो जाने के कारण बन्द है। निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इस टी0टी0एस0पी0 के मोटर का स्टीमेट बना कर नियमानुसार ठीक करायें। साथ ही जल निगम विभाग भी उक्त टी0टी0एस0पी0 को नियमानुसार ग्राम सभा को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। भ्रमण के समय देखा गया कि श्री जीवन सिंह के सामने लगे इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प में समर सेविल डाल कर पानी लिया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करायें एवं आगामी चौपाल आयोजन एवं ग्राम भ्रमण के समय स्वंय अथवा अपने अधीनस्त अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें। ग्राम में दो हैण्डपम्प रिवोर योग्य वताये गये। मौके पर उपस्थिति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत खराव हैण्डपम्पों को तेहरवां वित्त आयोग की धनराशि से नियमानुसार ठीक कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधि0अभि0 जल निगम एवं खण्ड विकास अधिकारी)

3–विद्युतः

ग्राम की विद्युत खराव वतायी गयी। जे0ई0 विद्युत के द्वारा वताया गया कि यह ग्राम आर0जी0जी0वाई योजनान्तर्गत चयनित है। ग्राम में विद्युतीकरण कार्य कराया जा रहा है। परन्तु गाम में जे0ई0 विद्युत के न आने की शिकायत की गयी। निर्देश दिये गये अधिशासी अभियन्ता विद्युत सम्बन्धित अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करें तथा ग्राम वासियों की समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जाये।

(कार्यवाही–अधिशसी अभियन्ता विद्युत)

4–मनरेगाः

बताया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत कोई भी परियोजना निर्माणाधीन नही है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं टी0ए0 को निर्देशित किया गया कि तत्काल 5 परियोजना तैयार कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायें। वताया गया कि इस ग्राम में तालाव का स्टीमेट गाटा सं0 424 पर बना कर कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु वर्तमान में कार्य रूका हुआ हैं। निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत अधिकारी इस कार्य को चालू कर नियमानुसार पूर्ण करायें।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी)

5–एन0आर0एल0एम0:

एन0आर0एल0एम0 योजनान्तर्गत ग्रुप गठन की स्थिती शून्य थी। निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी तत्काल समूह बना कर योजना को कार्यन्वित करें।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी)

6–पेंशनः

ग्राम में 2 निराश्रित विधवा महिलाओं को पेंशन प्राप्त हो रही है। निरीक्षण के समय 14 अन्य महिलाओं के नाम लिखाये गये। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थिति सहायक विकास अधिकारी स0क0 निर्देशित किया गया कि उक्त 14 महिलाओं के सम्बन्ध में जॉच कर नियमानुसार पेंशन चालू करायें।

बताया गया कि 137 लाभार्थियों के फार्म जिला स्तर पर प्रेषित किये गये थे, जिसके सापेक्ष 9 लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई है। मौके पर उपस्थिति सहायक विकास अधिकारी (स0क0) निर्देशित किया गया कि जिला स्तर से सूची प्राप्त सभी पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–जिला समाज कल्याण अधिकारी)

7–अन्य ग्राम जरोली कला के मजरा नं0हंसी के तालाब की निरीक्षण आख्याः

बताया गया कि प्रा0वि0 के सामने ग्राम सभा की खाली पड़ी जमीन पर पूर्व प्रधान द्वारा पट्‌टे अपने पारिवारिक व्यक्तियों व ग्राम पंचायत सदस्य के पट्‌टे किये गये हैं। यह व्यक्ति पट्‌टे दिये जाने हेतु पात्रता की श्रेणी में नही आते है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये किं उप–जिलाधिकारी टूण्डला जॉच करा कर नियमानुसार कार्यवाही कर अवैध पट्‌टे धारकों के पट्‌टे निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–उप–जिलाधिकारी, टूण्डला)

श्री हरिवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह के मकान के पास तालाव में काफी गन्दगी है। ग्रामवासियों द्वारा इस तालाव की साफ–सफाई कराने का अनुरोध किया गया। मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत तालाव की साफ–सफाई मनरेगा योजनान्तर्गत करायें।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी)

8–सी0सी0 कार्य–

ग्राम के बाईपास मार्ग से श्री शेरसिंह की ठार तक लगभग 200 मी0 जिला पंचायत द्वारा सी0सी0 कार्य इस ग्राम में कराया गया है। बताया गया कि यह कार्य लगभग 8–9 माह पूर्व हुआ है। कार्य का मौके पर निरीक्षण किया गया। सी0सी0 कार्य ऊखड़ गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि सी0सी0 बनने के बाद ही ऊखड़ने लगी थी। मौके पर देखने पर शुरू की लगभग 15 फिट दूरी में बिल्कुल खराव सी0सी0 कार्य हुआ है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत व अभियन्ता जिला पंचायत/अवर अभियन्ता के साथ तत्काल इसका मौका मुआयना कर सी0सी0 कार्य 15 दिन में ठीक कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत)

(सुजीत कुमार),
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 375 /एस0टी0 दिनांक 21-1-2015

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
2–जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
3–उप जिलाधिकारी टूण्डला।
4–जिला परियोजना ग्राम्य विकास अभिकरण।
5–अधि0 अभि0 विद्युत, फिरोजाबाद।
6–जिला समाज कल्याण अधिकारी।
7–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।
8–खण्ड विकास अधिकारी फिरोजाबाद।
9–जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।